न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला–अनूपगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–अजीत कुमार गोदारा कुमार(आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–77 / 2023

जी.सी.एम.एस.नं.–2023 / 215

बलदेव सिंह पुत्र भुराराम सिंह जाति मजहबी उम्र–60 वर्ष निवासी 23 ए.पी.डी तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

––– **वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला अनूपगढ़ (राज.)

––––**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–12 / 07 / 2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–23 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–20 नम्बर सं.–287 / 411 का किला नं.–1 ता 25 का कुल भूमि 6.325 हैक्टर नहरी / बारानी खातेदारी वादी के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1 / 8 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादी व वादी के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जिसमे वादी का 1 / 8 हिस्सा है जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। वादी का सही वा वास्तविक नाम बलदेव सिंह पुत्र भुरासिंह है लेकिन उसका घरेलू नाम सुखदेव सिंह होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों बलदेव सिंह व सुखदेव सिंह के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सुखदेव सिंह पुत्र भूरासिंह के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम बलदेव सिंह पुत्र भूरासिंह है। वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड जिनकी प्रतियॉ संलग्न वाद पत्र है में वादी का नाम बलदेव सिंह पुत्र भूरासिंह ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम सुखदेव सिंह से पुकारते थे इसलिए वादी का नाम सुखदेव सिंह दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम बलदेव सिंह ही है इस प्रकार सुखदेव सिंह व बलदेव सिंह वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका यानि बलदेव सिंह का नाम दर्ज नही बल्कि आपका [illegible] है जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम बलदेव सिंह [illegible] पर उसे उसके घरेलू नाम सुखदेव सिंह के नाम से बुलाते है ओर सुखदेव सिंह व बलदेव [illegible] ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के [illegible] हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम बलदेव सिंह पुत्र भूरा सिंह है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उसका घरेलू नाम सुखदेव सिंह दर्ज हो गया है जो एक सद्भाविक एवं माननीय भूल है वादी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:31:59 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रूप से सुखदेव सिंह दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम बलदेव सिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे सहबन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम बलदेव सिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक–23 ए पी डी का खाता सं.–26 में मुरब्बा नं.–20 पत्थर सं.–287/411 के किला नं.–1 ता 25 का कुल भूमि 6.325 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि मुस्तरफा खाता में वादी सुखदेव सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति मजबी सिख हिस्सा 1/8 खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। चक–23 ए पी डी अन्य मौतबिरान व्यक्तियो से कि गयी जानकारी अनुसार वादी का सही नाम बलदेव सिंह पुत्र भूरा सिंह ही बताया गया, एवं राजस्व दर्ज नाम सुखदेव सिंह पुत्र भुरा सिंह को सही कर बलदेव सिंह पुत्र भूरा सिंह किया जाना उचित बताया गया। रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत गुलाबेवाला वर्ष 2015 मे जारी प्रमाण–पत्र दैनिक डायरी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ./2024/707 दिनांक–01.03.2024, ग्राम पंचायत गुलाबेवाला वर्ष–2015 मे जारी प्रमाण–पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत 1 एल.एस.एम (बाडा कॉलोनी) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर वादी का नाम सुखदेव सिंह पुत्र भूरा सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र भूरा सिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–23 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–26 पुराना खाता सं.–41 का मुरब्बा नं–20 पत्थर सं.–287/411 का किला नम्बर 1 ता 25 का कुल भूमि 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम सुखदेव सिंह के स्थान पर सुखदेव सिंह उर्फ बलदेव सिंह का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक–12.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:31:59 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़